[illegible] पत्रावली पेश हुई। वसूली अधिकारी [illegible] की मांग पर पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वसूली अधिकारी [illegible] की मांग पर पत्रावली दिनांक 26/7/24 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

26/7/24 [redacted] P.O. सा. अन्य [redacted] व्यस्त है। अतः पूर्व [redacted] आदेशानुसार दिनांक 6/9/24 [redacted]

6/9/24 पत्रावली पेश हुई। वसूली अधिकारी [illegible] की मांग पर पत्रावली दिनांक 25/10/24 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

25/10/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/11/24

6.11.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी को पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी पत्रावली पर प्रार्थी हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली संलग्न आदेश-9 नियम-3 जा०पी० के तहत सदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कालत्य शुमार होकर नंबर से नाम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर